परेशानी | बाजार खुलते ही सकरी होती सड़कें

यातायात व्यवस्था चौपट, आधी सड़कों पर खड़ी रहती गाड़ियां

दोपहर 12 बजे के हाल

सड़कों पर खड़ी गाड़ियां

सुबह 7 बजे के हाल

जबलपुर, नवभारत। नगर की पुरानी जयंती टॉकीज के आसपास दो और चार पहिया वाहनों की पार्किंग ने आम राहगीरों की नाक में दम कर दिया है। वैसे तो पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसका जहाँ मन करता है उस सड़क को अपना समझ कर वाहन खड़े कर देता है और घंटों के लिए गायब हो जाता है। बात करे अगर जयंती कॉम्पलेक्स कि तो सालों से सड़क यातायात के लिए नासूर बन गई है। फोटो में साफ देखा जा सकता है कि सुबह सात बजे करमचंद चौक की ओर जाने वाला मार्ग साफ साफ दिखाई देता है लेकिन, दोपहर 12 बजे के बाद ये मार्ग गाड़ियों से ढक जाता है। बता दे कि यहाँ अच्छी खासी बेसमेंट पार्किंग है जहाँ 40 दुकानें काबिज हैं। यहाँ आने वाले कर्मचारियों और खरीददारों के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं जिससे राह में जाम लगता है।

किए गए प्रयत्न हुए फेल

बता दे कि आज से लगभग 4 साल पहले तत्कालीन ट्रैफिक एएसपी के अथक प्रयासों के बाद नगर निगम का अमला यहाँ कार्रवाई करने पहुँचा था, लेकिन सिर्फ एक बेसमेंट दुकान की जरा सी दीवार गिराकर वापस आ गया था, बाकियों को दुकानें हटाने की वार्निंग दी गई थी। उसके बाद आज तक नगर निगम का अमला आमद देने यहाँ नहीं पहुँचा, जिससे हालात जस के तस ही हैं। यहाँ कॉम्पलेक्स की सीढ़ियों तक में दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया है, जहाँ बैठकर उनके कर्मचारी मोबाइल रिपेयरिंग आदि का काम करते हैं।

घमापुर में बंद दुकान से 140 बोरी पोषण आहार जब्त

मकान बंद होने के कारण पंचनामा बनाकर तोड़ा ताला

नवभारत,जबलपुर। शहर में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों को वितरित किए जाने वाले शासकीय पोषण आहार की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार रात घमापुर क्षेत्र में छापा मारकर करीब 140 बोरी पूरक पोषण आहार जब्त किया है। यह आहार 6 माह से 3 वर्ष तक के पंजीकृत बच्चों को वितरित किया जाना था। स्थानीय लोगों की सूचना पर तहसीलदार, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की टीम करियापाथर मरघटाई रोड के पास स्थित एक बंद मकान पर पहुंची। मकान बंद होने के कारण पंचनामा बनाकर ताला तोड़ा गया, जहां कमरे के अंदर भारी मात्रा में शासकीय पोषण आहार की बोरियां रखी मिलीं। गिनती करने पर लगभग 140 बोरी खाद्यान्न बरामद हुआ, जिसे तत्काल जब्त कर कमरे को सील कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भेजा गया पोषण आहार अवैध रूप से यहां तक कैसे पहुंचा। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बोरियों पर बदली हुई तारीख मिली

जांच में पाया गया कि जब्त बोरियों पर महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित मंडला (मप्र) की सील लगी है। बोरियों पर अंकित तारीख 19 जनवरी 2025 को मार्कर से बदलकर 19 जनवरी 2026 किया गया था, जिससे कालाबाजारी की आशंका और गहरा गई है।

मकान के बाहर लगा निजी डॉक्टर का बोर्ड

प्रशासन के अनुसार जिस मकान से यह स्टॉक मिला है, उसकी देखरेख घमापुर निवासी दीपक यादव करते हैं। मकान के बाहर एक निजी डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस मामले में आंगनबाड़ी कर्मचारी या अन्य शासकीय कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं है।

घरों में नहीं पहुंच रही कचरा गाड़ी, लोगों में आक्रोश

नेता प्रतिपक्ष ने निगमायुक्त को पत्र किया प्रेषित

नवभारत,जबलपुर। डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। अधिकांश घरों में कचरे वाली गाड़ी नहीं पहुंच रही है जिसको लेकर शहरवासियों में खासा आक्रोश उमड़ रहा है। ये बातें नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कहीं हैं। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने आयुक्त, नगर निगम जबलपुर, महापौर जबलपुर एवं एमआईसी सदस्य स्वास्थ्य विभाग नगर निगम जबलपुर को पत्र प्रेषित कर बताया है कि नगर निगम जबलपुर के वार्डों से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं निष्पादन का कार्य विगत एक-दो वर्षों से नहीं हो रहा है अब घरों का कचरा आस-पास के खाली प्लाटों एवं रोडो में फेंका जा रहा है। जिससे वार्डों के मुख्य मार्गो एवं गलियों में कचरों का ढेर लगा हुआ है। वार्ड के नागरिकों द्वारा शिकायत किये जाने के पश्चात् भी कचरा घरों से नहीं लिया जा रहा है। लेकिन नगर सत्ता इस ओर ध्यान देने के बजाय सत्ता की मलाई खाने में मसगूल है। जिस कारण पूरा शहर कचरे की ढेर में तबदील हो चुकी है। इसका खामिआजा आम जनता भुगत रही है। वहीं कांग्रेस पार्षद दल ने मांग की है कि जल्द से जल्द डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के कार्य में सुधार किया जाए नहीं तो कचरा के टैक्स को माफ किया जाये।

मां की हत्या करने वाला कलयुगी बेटा गया जेल

जबलपुर। कुंडम थाना अंतर्गत जमुनिया बदरिया गांव में खाना न देने पर मां की हत्या करने वाले कलयुगी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक श्याम सिंह मरावी 50 वर्ष निवासी ग्राम बंदरिया खेती किसानी करता है उसके 2 पुत्र एवं 1 पुत्री है, पुत्र बसोरी मरावी एवं पुत्री प्रीति मरावी दिमागी रूप से ठीक नहीं हैं, बीती रात करीब 11 से 12 बजे के बीच पुत्र दीपक मरावी पहुंचा और मां जमुना बाई मरावी 50 वर्ष से खाना मांगा। खाना देने से मना करने पर दीपक आगबबूला हो गया था। जिसके बाद उसने फरसा से हमला कर मां की हत्या कर दी थी। श्याम सिंह घर पहुंचा तो पत्नी जमुना बाई साड़ी से ढकी हुई मृत पड़ी थी। जबकि दूसरे कमरे में उसका पुत्र दीपक मरावी बैठा था। पिता के पूछने पर बोला कि मां खाना नहीं दे रही थी इसलिए मैंने मार डाला। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। टीआई सतीश कुमार अंधवान ने बताया कि आरोपित दीपक सिंह मरावी 24 वर्ष को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

एकांश हत्याकांड: सातवां आरोपी भी गया जेल

रांझी थाना अंतर्गत लक्ष्मी मंदिर मेन रोड गोकलपुर में पिछले माह कार-बाइक में हुए एक्सीडेंट के बाद चाकुओं से गोदकर फर्नीचर कारोबारी की एकांश साहू की हत्या करने वाला सातवां आरोपी भी पुलिस ने दबोच लिया जिसे न्यायालय पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है जबकि हत्याकांड का आठवां आरोपी अब भी फरार है। 6 आरोपी पूर्व में जेल भेजे जा चुके है।

विदित हो कि एकांश साहू पिता सुरेश साहू 34 वर्ष निवासी सब्जी मंडी अधारताल का फर्नीचर कारोबारी था। रविवार रात्रि वे अपने दोस्त मोहित के साथ क्रेटा कार से घर लौट रहा था। रात्रि करीब 11:30 बजे लक्ष्मी मंदिर मेन रोड गोकलपुर में एकांश साहू की गाड़ी का एक्सीडेंट एक मोटर सायकिल से हो गया था। इसके बाद बाइक चालक और कार चालक के बीच विवाद हुआ और बाइक चालक ने फोन करके साथियों युवकों को बुला लिया इसके बाद मारपीट करने के बाद चाकू से हमला कर एकांश की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर बाइक चालक शिवम बाजपेयी एवं उसके साथी सुधीर चौधरी, अकिंत चौरसिया, सुमित चौधरी, जय बेन, समेत अन्य को गिरफ्तार किया था। कमलेश महोबिया और छोटू ठाकुर फरार हो गए थे।

एक नजर में

एसडीओं कोर्ट में चल रहीं कार्रवाई निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि जब जमीन विवाद को लेकर सिविल सूट लंबित है तो उसी मामले में समानांतर रूप से आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस मत के साथ जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एसडीओ न्यायालय में चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया। जबलपुर निवासी भूपेन्द्र सिंह रक्षा की ओर से अधिवक्ता केके पांडेय व सिद्धार्थ एस पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने अनावेदक बलविंदर सिंह के खिलाफ संपत्ति विवाद में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था। सिविल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजेक्शन) भी प्रदान कर दी थी। इसके बावजूद अनावेदक ने एसडीओ गोरखपुर के समक्ष दंड प्रक्रिया से संबंधित कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि सिविल कोर्ट में लंबित भूमि विवाद में समानांतर रूप से आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। एसडीओ की ओर से बताया गया कि अभी केवल नोटिस जारी किए गए हैं, कोई आदेश पारित नहीं किया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने एसडीओं गोरखपुर के समक्ष लंबित कार्रवाई निरस्त कर दी।

निगम जोन कार्यालयों में बीओसीडब्लू और संबल कार्ड की केवायसी बंद

नवभारत,जबलपुर। निर्माण मजदूर संगठन मप्र के पदाधिकारियों द्वारा बीओसीडब्लू और संबल दोनों की योजनाओं की केवायसी शुरू करने की मांग को लेकर मांगपत्र उपायुक्त अंकिता जैन को सौंपा गया। इस मौके पर पोलीपाथर, चेरीताल से बड़ी संख्या में घरेलू कामगार, भव निर्माण श्रमिक महिलाएं उपस्थित रहीं। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान समय में निगम जोन कार्यालयों में बीओसीडब्लू और संबल कार्ड की केवासी बंद है जबकि मप्र श्रम विभाग द्वारा बार बार मजदूरों को अपने बीओसीडब्लू और संबल कार्ड का केवायसी करने की अधिसूचना जारी कर रहा है। ज्ञापन सौंपते वक्त निर्माण मजदूर संगठन की ओर से रीता चौधरी, कौशल चौधरी, रेशमा कोल सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।

विधायक रोहाणी ने रांझी गैस एजेंसियों का किया औचक निरीक्षण

जबलपुर। कैंट क्षेत्र विधायक अशोक रोहिणी ने जिले में हो रही लगातार गैस वितरण की समस्या को लेकर शुक्रवार को रांझी गैस एजेंसीयों का औचक निरीक्षण किया और हितग्राहियों, गैस कंपनियों के अधिकारियों से भी चर्चा की। चर्चा के दौरान हितग्राहियों ने स्पष्ट रूप से विधायक को बताया कि किसी भी प्रकार की गैस भुगतान में समस्या नहीं आ रही है और ना ही किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि गैस के लिए किसी भी गैस एजेंसी के द्वारा ली जा रही है सरलता से और सहजता से गैस का वितरण हो रहा है गैस कंपनियों के अधिकारियों ने भी गैस की कमी न होने की पुष्टि की है लेकिन उसके बाद भी विधायक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि क्षेत्र में गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए साथ ही साथ किसी भी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग गैस की नहीं होनी चाहिए। इस निरीक्षण में विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी, मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह सेगर, पार्षद दामोदर सोनी, पार्षद अनुराग दहिया, महामंत्री हेमराज सराठे, सुधीर बेन बंटी, दशरथ पटेल, पप्पू सोनकर, सुरेश पटेल, हैप्पी सिंह, शोभित आनंद, आकाश पटेल, एवं सभी कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे।

30 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों से टीईटी की मांग पर आक्रोश

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जबलपुर ने शिक्षकों से शिक्षक पात्रता परीक्षा देने के आदेश के विरोध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य मामले के निर्णय की आड़ में लोक शिक्षण संचालक भोपाल द्वारा जारी आदेश से शिक्षकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। संघ का कहना है कि प्रदेश में कई शिक्षक लगभग 30 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और भर्ती नियम 1998, 2008 तथा 2018 में कहीं भी टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं है। ऐसे में अचानक यह शर्त लागू करने से शिक्षकों में भय और रोष का माहौल है। संघ के जिला सचिव देवेन्द्र पचौरी ने बताया कि प्रदेश के शिक्षक शिक्षा कर्मी और संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस आदेश को संज्ञान में लेकर राहत देने तथा मामले में रिव्यू पिटीशन लगाने की मांग की है।

इस अवसर पर अटल उपाध्याय, देवेन्द्र पचौरी, आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, रजनीश पाण्डे, मुकेश सिंह, शहजाद सिंह द्विवेदी, दालचंद पासी, गगन चौबे, प्रियांशु शुक्ला, विनय नामदेव, विवेकरंजन शुक्ला, रामशंकर शुक्ला, सुनील पचौरी, गणेश उपाध्याय, श्यामनारायण तिवारी, ममता दुबे, रीता खण्डेलवाल, सुनीता घंगोरिया, सरिता यादव, अल्का कोरी, शिखा सिंह, सुनीता शुक्ला, सविता कुरील, अर्चना राजपूत, ज्योति तेलगांव, सुरेन्द्र जायसवाल, विवेक जैन, दीपक सोनी, रामदास बरकडे, शुभसंदेश सिंगौर, अंशुल साहू, बृजेश दीक्षित, अजय दुबे, सतीश उपाध्याय, राजेश चौरसिया, मनोज सिंह, प्रदीप मिश्रा, किशोर दुबे, सुरेन्द्र चौबे, जयप्रकाश गुप्ता, जे.एल. झारिया, प्रमोद विश्वकर्मा, बृजेश दुबे, सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

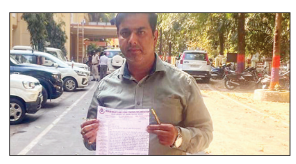

नए शैक्षणिक सत्र से पहले फिर लगे पुस्तक मेला

नवभारत,जबलपुर। शहर में विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जबलपुर में पुन: पुस्तक मेला आयोजित कराने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना के कार्यकाल में हर वर्ष पुस्तक मेला आयोजित होता था, जिससे अभिभावकों को स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध हो जाती थीं और ओवरचार्जिंग से राहत मिलती थी। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में अभिभावकों को किताबें और यूनिफॉर्म अधिक कीमतों पर खरीदनी पड़ रही हैं। ऐसे में यदि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में फिर से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है तो हजारों विद्यार्थियों और अभिभावकों को सीधा लाभ मिलेगा। नए शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल से शुरू होने को देखते हुए संगठन ने जल्द पुस्तक मेले के आयोजन की मांग की है। यह ज्ञापन डॉ. अमित सिसोदिया के मार्गदर्शन में दिया गया। इस दौरान डॉ. अजय वधवानी (अध्यक्ष), एडवोकेट भावना निगम (महिला विंग प्रमुख), एडवोकेट आशीष त्रिपाठी और डॉ. अभिषेक जैन उपस्थित रहे।

पूर्व मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी

जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत गुप्तेश्वर मदनमहल निवासी पूर्व मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू निवासी गुप्तेश्वर रोड, मदनमहल को एक मोबाइल नंबर से लगातार काल कर धमकियां दी जा रही है। करीब 5-6 बार काल कर अज्ञात ने धमकाया है। मामले की शिकायत गोरखपुर थाने में की गई है। पूर्व मंत्री ने बताया कि वे उनका पूरा परिवार असुरक्षित कर रहा है। सन् 1984 के दंगे में भी उनके पिता और चाचा को जिंदा जला दिया गया था। पूर्व में हरेन्द्रजीत सिंह पर बम फेंकने जैसी घटनाएं भी हो चुकी है। अब उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। जिस पर उन्होंने धमकाने वाले पर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोबाइल धारक कौन है इसका भी पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सायबर सेल की भी मदद ली जा रही है।

समझौता करने दबाव बना बदमाश दे रहे धमकी

अधारताल थाने में दर्ज एक प्रकरण में गौशाला संचालक को समझौता करने दबाव बना जा रहा है और ऐसा न करने पर लगातार बदमाश जान से मारने की धमकी दे रहे है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता राहुल पटेल पिता लोचन सिंह पटेल 23 वर्ष निवासी निवासी देवताल गढ़ा ने बताया कि वे खजरी खिरिया स्थित माँ नर्मदा गौशाला का संचालक है। 11 फरवरी को सचिन पटेल, प्रवीण पटेल उर्फ चंदन, सौरभ पटेल, ओमप्रकाश उर्फ गुड्डा पटेल, मनोज पटेल और नारायण उर्फ बबलू पटेल द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी। जिसकी एफआईआर थाने में दर्ज कराई थी। मामले में समझौता करने का उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है।

राहत | उपमुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद जूनियर डॉक्टर्स को मिली राहत, शासन से जूडा की मांगों को किया पूरा

अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे जूनियर डॉक्टर्स

नवभारत,जबलपुर। मानदेय की वार्षिक वृद्धि रोके जाने और एरियर के भुगतान न होने से आक्रोशित जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अब 16 मार्च को हड़ताल पर नहीं जाएंगे। इसी मुख्य वजह मप्र राज्य शासन ने जूनियर डॉक्टरों की शुक्रवार को एक आदेश जारी कर दोनों मांगें पूरी कर दीं हैं। विदित हो कि नवभारत ने गत 10 मार्च के अंक में उप मुख्यमंत्री ने लगाई उम्मीद के शीर्षक की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी जिसके बाद उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का ध्यान आकर्षित हुआ और शुक्रवार को जबलपुर सहित प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों को राहत भरी खबर मिली।

अपना शहर

मानदेय में वार्षिक वृद्धि रोके जाने व एरियर भुगतान नहीं होने से उपजा आक्रोश

उप मुख्यमंत्री ने जगाई उम्मीद, जूडा की 16 मार्च तक टली हड़ताल

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष डॉ. शुभांशू शर्मा ने नवभारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन ने मानदेय की वार्षिक वृद्धि को लागू कर दिया है वहीं एरियर के भुगतान के भी आदेश कर दिए हैं जिससे जूनियर डॉक्टर्स के खेमे में हर्ष का माहौल है।

9 मार्च को दिया था हड़ताल का अल्टीमेटम

जानकारी के अनुसार विगत 9 मार्च को जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने डीन डॉ नवनीत सक्सेना को अल्टीमेटम दिया था कि 16 मार्च तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं हैं तो पूरे जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेडिकल डीन और राज्य शासन की होगी। इसी दिन जूनियर डॉक्टर्स के एक समूह ने उप मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई थी जिस दौरान उन्हें आश्वासन मिला था कि 16 मार्च के पहले उनकी मांगों का निराकरण कर दिया जाएगा। इसके बाद अब शुक्रवार को जूनियर डॉक्टर्स को राहत मिल गई है।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मानदेय में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान था जिसे वर्ष 2021 से लेकर 2024 तक लागू किया गया। लेकिन वर्ष 2025 से मानदेय में 3 से 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को प्रशासनिक उदासीनता के चलते रोक दिया गया था।

इसी को लेकर जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश था और फिर उन्होंने हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम मेडिकल डीन और राज्य सरकार को दे दिया था।

11 माह से काट रहे थे चक्कर

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष डॉ. शुभांशू शर्मा ने नवभारत से चर्चा के दौरान ये बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर पिछले 11 महीने से डीन कार्यालय के चक्कर काट रहे थे लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब उन्होंने हड़ताल का अल्टीमेटम दिया और उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की तब कहीं जाकर उनकी सुनवाई हुई।

नेशनल लोक अदालत आज, सहमति से होगा प्रकरणों का निराकरण

जबलपुर। नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज शनिवार को हागा। जिसमें विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, भरण-पोषण संबंधी प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, श्रम विवाद, राजस्व प्रकरण तथा पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक, नगर पालिका, विद्युत विभाग एवं बीएसएनएल से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। यातायात से संबंधित प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।